यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार के माह 06.2016 से 06.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13.07.2018 से 18.07.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>-।

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री रामवीर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो॰ सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.06.16 से 23.06.16 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2012 से 05/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2016 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा रोजगार परक व्यवसायो मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा कौशल दक्षता हेतु निकटवर्ती स्थानो मे विभिन्न कम्पनियो/ प्रतिष्ठानो मे सम्पर्क कर अप्रेंत्सिप हेतु भेजा जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे संस्थान के अधीन संचालित आईटीआई डेलना खानपुर, नारसेन आदि के क्षेत्र शामिल है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
		स्थापना	**गैर-स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
1.	2016-17	0.00	0.00	527.89	513.04	38.39	37.86	-	15.38
2.	2017-18	0.00	0.00	622.01	621.87	51.66	50.91	-	0.89
3.	2018-19	0.00	0.00	579.69	142.40	20.95	10.42	-	-

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 06.2016 से 06.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03.2017 एवं 03.2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-2 (ब)</u>

प्रस्तर-1:- मद संख्या -27 "चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति" हेतु व्यय धनराशि रु 7.43 लाख के देयकों/वाउचरो पर त्रुटिपूर्ण 10% टीडीएस की कटौती किया जाना।

कार्यालय औध्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के मद संख्या 27 "चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति" के देयकों की जांच की गयी। वर्षवार उक्त मद हेतु आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत पायी गयी:-

क्र.स.	वर्ष	मद का नाम	आबंटन	व्यय	समर्पण
1	2016-17	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	77,200	77,200	शून्य
			2,99,320	2,99,234	86
2	2017-18	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	3,67,269	3,67,269	शून्य
		कुल योग	**743789**	**743703**	**86**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 मे कुल धनराशि रु 7,43,703/- के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावो का भुगतान कार्यालय द्वारा किया गया। संबन्धित वाउचरो/देयकों की नमूना जांच मे पाया गया देयकों से आयकर अधिनियम के तहत कटौती किए जाने के उपरान्त भुगतान किया गया। संबन्धित देयकों से 10% आयकर कटौती कर लेखाशीर्ष 8658001120000 (टीडीएस कटौती) मे जमा/अंतरण किया जा रहा था, जबकि शासनादेश संख्या 679/चि॰-3-2006-437/2002, दिनांक 04.09.2006 जिसमे चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति संबन्धित दिशानिर्देश जारी किए गए है, मे किसी भी प्रकार की कटौती किए जाने संबन्धित कोई विवरण नही पाया गया और न ही इकाई द्वारा संबन्धित कटौती किए जाने संबन्धित कोई निर्देश/नियम लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत किए गए।

इस संबंध मे पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि "कोषागार के माध्यम से सुझाए गए तरीके से कटौती की गयी जिसका कोई आदेश संस्थान मे उपलब्ध नही है एवं कटौती संबन्धित कोई निर्देश प्राप्त नही हुआ था"।

उत्तर तर्कसंगत नही पाया गया, क्योकि बीमारी के दौरान कर्मचारियो/ अधिकरियों द्वारा किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति कर्मचारियो की आय का स्त्रोत नही है, जिस कारण उक्त पर टीडीएस की कटौती नही की जानी चाहिए, साथ ही इकाई द्वारा उक्त देयकों से कटौती संबन्धित कोई साक्ष्य/ निर्देश लेखापरीक्षा मे अप्रस्तुत पाये गए।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग-2 (ब)</u>

प्रस्तर-2:- विगत 2 वर्षो से धनराशि रु 244.58 लाख के उपकरणो एवं मशीनों का संस्थान असंचालित होने के कारण अक्रियाशील पाया जाना।

समाज कल्याण विभाग के शासनादेश 1141/XVII-3/14-07(24-MSDP)/2014 दिनांक 16.11.2015 एवं 1143/XVII-3/14-07(24-MSDP)/2014 द्वारा दिनांक 29.12.2014 को उक्त संस्थानों हेतु स्वीकृत धनराशि रु 438.95 लाख (धनराशि रु 316.66 लाख सिविल कार्य हेतु एवं 122.29 लाख सामग्री/ उपकरण आदि) वित्तीय वर्ष 2014-15 द्वारा औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, बंदरजुड़ एवं औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिकरौदा का निर्माण कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इकाई-02 देहरादून द्वारा दिनांक 09/2016 को पूर्ण किया गया। कार्य पूर्ण होने के 4 माह बाद उक्त संस्थानो का हस्तनांतरण आईटीआई जगजीतपुर हरिद्वार द्वारा 01/2017 को किया गया। उक्त दोनों संस्थानो हेतु प्रत्येक संस्थान को धनराशि रु 122.29 लाख अर्थात कुल 244.58 लाख के मशीनों एवं उपकरणो का क्रय कार्यदायी संस्था द्वारा दिनांक 02.01.2017 को भवन हस्तांतरण के तुरंत बाद (2/2017) कर प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार को प्रदान किया गया। आगे जांच मे पाया गया कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 834/XLI-1/2015-74(प्रशि॰)/2015, दिनांक 07.10.2015 को उक्त संस्थानो हेतु पदो का सृजन किया जाने के साथ-साथ बंदरजुड़ हेतु 4 व्यवसाय (प्रत्येक व्यवसाय हेतु 2 यूनिट) तथा संस्थान हेतु 4 व्यवसाय (प्रत्येक व्यवसाय हेतु 2 यूनिट) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आगे जांच मे पाया गया उपकरणो को हस्तगत करते समय मशीनों एवं उपकरणों का तकनीकी सत्यापन नही किया गया और न ही उपकरणो की व्यवसार इनवेंटरी तैयार कर मशीनों एवं उपकरणो का भौतिक सत्यापन किया गया। उक्त व्यवसायो की प्रवेश की अनुमति प्राप्त न होने के कारण उक्त व्यवसाय संचलित नही किए जा सके। उक्त दोनों संस्थान औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, बन्दरजुड़ एवं सिकरौधा हेतु स्वीकृत 8 व्यवसायो मे से मात्र एक व्यवसाय विद्धुतकार संस्थान सिकरोध मे वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु संचालित पाया गया जबकि संस्थान बन्दरजुड़ असंचलित अवस्था मे पाया गया जबकि उक्त दोनों संस्थानो हेतु धनराशि रु 244.58 लाख के उपकरणो एवं मशीनों का क्रय कर भंडार मे अक्रियाशील पड़े हुए थे। उक्त संस्थान हेतु वर्ष 2015 मे पद स्वीकृत होने के बावजूद वर्तमान मे कोई भी अनुदेशक तथा स्टाफ की नियुक्ति नही की गयी। उक्त मशीनों एवं उपकरणो को अन्य सस्थानों को हस्तांतरित किए जाने हेतु कोई प्रयास इकाई द्वारा नही किया गया जिस कारण धनराशि रु 244.58 लाख की सामग्री अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त प्रकरणो पर इंगित किए जाने पर उत्तर मे बताया गया कि निकट भविष्य मे आईटीआई मे प्रवेश किया जाना प्रस्तावित है जिस कारण उपकरण वर्तमान मे अक्रियाशील स्थिति मे है। एवं समय समय पर निदेशालय से पत्राचार किया जा रहा है, भविष्य मे शीघ्र ही व्यवसायो को संचालित किया जाएगा।

उत्तर संतोषप्रद नही पाया गया क्योकि संस्थानो मे नियमित अनुदेशकों कि नियुक्ति नही होने के कारण संबन्धित व्यवसायो/संस्थान विगत वर्षो मे असंचालित पाये गए तथा संबन्धित मशीनों एवं उपकरणो को क्रय कर स्टाक मे रखा गया एवं प्रशिक्षुयों हेतु उपयोग मे नही लाया गया।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर-3- विवेकपूर्ण निर्णय के अभाव मे धनराशि रु 137.88 लाख का अपूर्ण निर्माण कार्य एवं धनराशि 45.20 लाख कार्यदायी संस्था के पास विगत चार वर्षो से अवरुद्ध पाया जाना।

नाबार्ड के अंतर्गत वर्ष 2014-15 हेतु एसपीए(आर) के तहत चयनित राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानो के लिए शासनादेश संख्या 223/XLI-1/2015-51(प्रशि)/02015, दिनांक 26.03.15 के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लालढ़ांग हेतु स्वीकृत धनराशि रु 137.88 लाख (सिविल कार्य रु 123.70 लाख तथा अधिप्राप्ति हेतु रु14.18 लाख) भवन निर्माण हेतु स्वीकृत की गयी। निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम हरिद्वार का चयन किया गया। निर्माण कार्य हेतु अनुबंध दिनांक 04/2015 मे किए जाने के उपरान्त प्रथम किस्त के रूप मे धनराशि रु 41.36 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया गया। संबन्धित निर्माण पत्रावली एवं मासिक भौतिक एवं वित्तीय रिपोर्ट जून 2018 की जांच से ज्ञात हुआ कि उक्त निर्माण कार्य हेतु क्रमश धनराशि रु 0.50 लाख का व्यय किया गया तथा लेखापरीक्षा तिथि तक भौतिक प्रगति शून्य पायी गयी। उक्त संस्थान हेतु शासनादेश 92/XLI-1/14-36(प्रशि॰)/2013, दिनांक 06.06.2014 द्वारा स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं पदो का सृजन किया गया था।
आगे जांच मे पाया गया कि पत्रांक 861/जिला भूमि व्यव॰-2013, दिनांक 10.12.2013 से स्पष्ट है कि संस्थान को सैद्धांतिक स्वीकृति वर्ष 2013 मे प्राप्त हुई एवं 0.847 है॰ भूमि ग्राम लालढ़ांग मे संस्थान हेतु चयनित कर प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के निर्देश जारी किए गए, संबन्धित भूमि अविवादित थी, जबकि शासन द्वारा 04/2015 को भूमि का निशुल्क हस्तनांतरण किए जाने के स्वीकृति प्रदान की गयी जबकि बाद मे भूमि विवादित होने के कारण जनजाति कल्याण विभाग के अधीन संचालित राजकीय आश्रम पद्यति बालक विद्यालय लालढ़ांग की भूमि, संस्थान को हस्तनंतरित किए जाने हेतु अनापत्ति प्रदान की गयी, जबकि पत्रांक 576/जि॰ क॰/2016 द्वारा कार्यदायी संस्था को भूमि उपलब्धता 09/2016 मे सुनिश्चित किया गया। शासनादेश 411(1)/XLI-1/15, दिनांक 02.06.2015 के अनुसार संस्थानो हेतु भूमि सुनिश्चित कर निर्माण कार्य 14.06.2015 तक प्रारम्भ किए जाने के निर्देश जारी किए गए जिसके विरुद्ध भूमि उपलब्धता 09/2016 तक सुनिश्चित किया गया और भूमि उपलब्धता के 18 माह व्यतीत होने के बावजूद निर्माण कार्य वर्तमान तक अवरुद्द पाया गया, जबकि कार्यदायी संस्था को धनराशि रु 41.36 लाख 3 वर्ष पूर्व भूमि की अनुपलब्धता के बावजूद अवमुक्त कर दिया गया। पत्रांक 318/रानिनि/एच-265/2018, दिनांक 07/06/2018 के अनुसार धनराशि रु 45.20 लाख ब्याज सहित कार्यदायी संस्था के पास अवरूद पड़ी हुई थी ।
लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि “भूमि को चयन किया गया था परंतु विवाद के कारण भूमि सुनिश्चित करने मे विलम्ब हुआ एवं कार्यदायी संस्था के पास उपलब्ध धनराशि की वापसी संबधित आपत्ति के संबंध मे इकाई ने बताया कि इस संदर्भ मे कार्यवाही निदेशालय स्तर से की जाती है”।

उत्तर संतोषजनक नही पाया गया क्योकि इकाई के उत्तर से यह स्पष्ट है कि निर्माण कार्य भूमि सुनिश्चता के कारण प्रारम्भ नही किया जा सका तथा विभाग द्वारा बिना भूमि की उपलब्धता के धनराशि रु 41.36 लाख कार्यदायी संस्था को विगत 4 वर्षो पूर्व अवमुक्त कर धनराशि को अवरुद्द किया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - 2 'ब'

प्रस्तर:4- केंद्र सरकार द्वारा प्रदत ब्याज रहित ऋण रु 2.50 करोड़ से योजना के संचालन में उदासीनता का प्रकरण पाया जाना ।

कार्यालय प्रधानाचार्य आईटीआई हरिद्वार के नियंत्रणाधीन संचालित आईटीआई (1) डेलना (2) नारसन (3) खानपुर से संबन्धित अभिलेखो की जांच में प्रकरण प्रकाश में आया कि केंद्र सरकार की योजना ' 1936 राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानो का सार्वजनिक - निजी भागीदारी के माध्यम से उक्त आईटीआई के उच्चीकरण के अंतर्गत इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी (आईएमसी) को शासनादेश सं 1715/IIII/75-प्रशि/2008 दिनांक 29.02.2008 द्वारा वितीय अधिकार प्रदत किए जाने की चर्चा पायी गई । जिसका मुख्य उदेश्य क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाए जाने के दृष्टिकोण से अवश्यकतानुसार राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान में संचालित होने वाले पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए जाने हेतु सुझाओं दिया जाना, प्रशिक्षण आवश्यकताओ की समीक्षा करना एवं लघु/मध्य/दीर्घ अवधि के लिए कुशल श्रमिकों का आवश्यक अनुरूप प्रशिक्षण विषय प्रारम्भ करना था ।

<u>योजना से आच्छादित प्रगति रिपोर्ट विवरण</u>

(रु करोड़ में)

क्रम सं	संस्थान का नाम	अवमुक्त राशि की प्रकृति एवं वर्ष	राशि	लेखापरीक्षा तिथि तक व्यय	संचालित कोर्स एवं वर्ष
1.	आईटीआई,डेलना	ब्याज मुक्त ऋण जुलाई, 2011	2.50 करोड़	1.59 करोड़	1.इलेक्ट्रिशियन अगस्त,16 2.फिटर अगस्त,16
2.	आईटीआई,नारसन	ब्याज मुक्त ऋण अप्रैल, 2012	2.50 करोड़	26.57 लाख	फीटर सितम्बर,16
3.	आईटीआई,खानपुर	ब्याज मुक्त ऋण अप्रैल, 2012	2.50 करोड़	25.38 लाख	1.इलेक्ट्रिशियन सितम्बर,17 2.फीटर सितम्बर ,16 3.कटिंग&स्विंग, सितम्बर,17

अभिलेखो की जांच में पाया गया कि आईटीआई, डेलना में इलेक्ट्रिशियन तथा फीटर व्यवसाय वर्ष 2012 से संचालित थे जिनका अपग्रेडेसन के तहत रु 144.42 लाख की मशीन एवं टूल्स का क्रय किया गया , परन्तु अपग्रेडेड कोर्से का संचालन का प्रारम्भ वर्ष 2016 से किया जाना पाया गया । योजना के तहत वर्ष 2011 मे आईटीआई, नारसन तथा आईटीआई खानपुर को क्रमशः 2.50 - 2.50 करोड़ व्याज रहित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया, परंतु 5 वर्ष की लम्बी अवधि बीत जाने के उपरांत योजना के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाये जाने के दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार आईटीआई में वर्ष 2016 एवं 2017 में अपग्रेडेड कोर्स का प्रसिक्षण प्रारम्भ किया गया जिसमे प्रस्तुत अभिलेखो के अनुसार रु 2.50 करोड़ में से लेखापरीक्षा तिथि तक उददेश की पूर्ति के लिए नारसन तथा खानपुर द्वारा क्रमशः रु 26.57 लाख तथा रु 25.38 लाख हीं व्यय किया जा सका । इस संबंध मे योजना का सही क्रियावयन के लिए समय-समय पर आईएमसी की बैठक आहूत की जानी थी, परंतु इस संबंध मे इकाई द्वारा समयसारणी का निर्धारण

संबंधी कोई अभिलेख लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नहीं पाया गया जिसकी पहली बैठक नारसन तथा खानपुर की ऋण प्राप्ति के 01 वर्ष पश्चात पायी गई ।

इस और इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि निजी भागीदारी से समन्वय स्थापित करने में कठिनाई होने के कारण योजना की संचालन में विलंबता हुई ।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया क्योकि सरकार ने कार्य में गति प्रदान करने के लिए पीपीपी मोड के अंतर्गत स्वतंत्र कमेटी आईएमसी गठित की गई थी जिसे वितीय अधिकार प्रदत कर हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया था, बैठक का अंतराल लंबा होना तथा जॉब ओरिएंटेड कोर्स 05 वर्ष बाद प्रारम्भ करने इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी नारसन तथा खानपुर द्वारा योजना पर अल्प व्यय स्वतः प्रमाणक था कि योजना के संचालन में उदासिनता बरती गई ।

अतः प्रकरण उचाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग - 2 'ब'</u>

प्रस्तर:5- धनराशि रु 20.00 लाख का अवरोधन ।

कार्यालय राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार की अभिलेखो की जांच में पाया गया कि निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हरिद्वार के पत्रांक 23072-76/डी॰टी.ई.यू/0202/मा.आईटीआई /2017-18 दिनांक 16 दिसम्बर ,2017 द्वारा वितीय वर्ष 2017-18 मे 70% केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार को मॉडल राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान में परिवर्तन के निर्णय के तहत मशीन साज-सज्जा एवं उपकरण क्रय हेतु रु 20.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस संबंध में भारत सरकार के पत्रांक DGET-35(4)/Model ITI-UK(I)/2015-NPIU नई दिल्ली दिनांक 18 सितम्बर,2015 में वर्णित शर्ते निम्नवत पाई गई - In context of central share, the grant should be utilized within a period of 12 months from the close of Financial year of issue of sanction released and any amount not spent by that time should be surrendered to the central Government.

परंतु प्रयोजन हेतु जारी धनराशि रु 20.00 लाख का व्यय वितीय वर्ष 2017-18 में प्रयुक्त नहीं किया जा सका तथा वितीय वर्ष में धनराशि व्यय न होने की दशा में पीएलए में हस्तांतरित किए जाने हेतु मांगी गई अनुमति प्रतीक्षित पाई गई तथा धनराशि को मॉडल राजकीय औद्योगिक प्रक्षीक्षण संस्थान के लिए पीपीपी मोड के तहत गठित इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी (आईएमसी) के संचालित खाते में स्थानिए निर्णय के अनुसार शासकीय धन का रख रखाव पाया गया ।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भारत सरकार से एमओए हस्ताक्षर नहीं होने के फलस्वरूप रु 20.00 लाख की धनराशि व्यय नहीं किया जा सका।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, अप्रयुक्त धनराशि की स्थानीय स्तर पर रख रखाव की अनुमति भारत सरकार के जारी दिशा निर्देश के अंतर्गत नहीं ली गई तथा मनमाने ढंग से रखरखाव किया जाना नियम संगत नहीं पाया गया ।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
-	-	-	-	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
-	-	-	-	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री मनमोहन कूडियाल	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ हरिद्वार	विगत लेखापरीक्षा (05/2016) से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र